(वाद सं0–814/4/4/2019)

17.02.2022

परिवादी, प्रणव कुमार तप्य, अपने अधिवक्ता, श्री श्यामा कान्त सिंह, के साथ उपस्थित है।

स्वयं परिवादी व परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, प्रणव कुमार तप्य, बर्खास्त शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय जगनसैदपुर (झगराहा) को अप्रैल 2012 से वेतन का भुगतान न किये जाने से संबंधित है।

उपरोक्त पर जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय के प्रतिवेदनानुसार प्रसंगाधीन मामला फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने से संबंधित है।

प्रतिवेदनानुसार एक श्री विनय भूषण झा द्वारा परिवादी के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल की गयी थी। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिट याचिका में याचिकाकर्त्ता विनय भूषण झा को जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकार के समक्ष मामले को दायर करने का निर्देश दिया गया। उपरोक्त निर्देश के आलोक में दाखिल वाद सं0–35/2012 व 29/2012 में दिनांक–13.11.2014 को जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकार, बेगूसराय द्वारा परिवादी को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने से संबंधित आरोप को सही पाकर परिवादी के विरूद्ध विधि–सम्मत् कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उक्त आदेश के आलोक में परिवादी के नियोजन को रदद् कर दिया। प्रतिवेदनानुसार जब सक्षम प्राधिकार द्वारा परिवादी के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर हुए नियोजन को रदद् कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में परिवादी कोई मानेदय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी द्वारा राज्य आयोग के समक्ष कोई लिखित प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है। आज सुनवाई के समय परिवादी के अधिवक्ता की ओर से प्रसंगाधीन मामले में सहानभूति पूर्वक विचार कर परिवादी द्वारा नियोजन के अवधि में किये गये कार्य के मानदेय का भुगतान हेतु पुनः अनुरोध किया गया है।

अब, जबकि परिवादी के नियोजन को ही एक सक्षम प्राधिकार द्वारा उसके गुण–दोष पर विचार कर रदद् किया जा चुका है तो उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित परिवादी मानदेय पाने के अधिकारी प्रतीत नहीं होते है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>